पत्र संख्या–टी0 2/नामां0–10/2018............................/

बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष), बिहार, पटना।

प्रेषक,

निदेशक,
नियोजन एवं प्रशिक्षण,
बिहार, पटना।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक :------ --- 2018

विषयः– राज्य के सभी निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से विगत तीन वर्षो का विद्युत विपत्र एवं जमीन से सम्बन्धित खाता खेसरा सहित अभिलेख जमा करने हेतु महत्वपूर्ण सूचना से संबंधित विज्ञापन को सभी राजकीय, राष्ट्रीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक राज्य के सभी निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से विगत तीन वर्षो का विद्युत विपत्र एवं जमीन से सम्बन्धित खाता खेसरा सहित अभिलेख जमा करने हेतु महत्वपूर्ण सूचना से संबंधित विज्ञापन की प्रति संलग्न करते हुए कहना है कि विज्ञापन को बिहार राज्य में प्रकाशित/प्रसारित किये जाने वाले हिन्दी एवं अंग्रेजी के दैनिक समाचार पत्र एवं राष्ट्रीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कराते हुए विज्ञापन की एक प्रति अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनुः– (1) उक्त विज्ञापन की एक प्रति।
(2) एक अदद सी0 डी0

विश्वासभाजन

ह0

निदेशक,
नियोजन एवं प्रशिक्षण,
बिहार,पटना।

ज्ञापांक– टी0 2/नामां0 –10/2018 1240 पटना, दिनांक 06.06. 2018

प्रतिलिपिः– विशेष सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) आई0 टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग को उपरोक्त विज्ञापन सूची सहित विभागीय वेवसाइट पर अपलोड करने हेतु अग्रसारित।

निदेशक, 06/06
नियोजन एवं प्रशिक्षण,
बिहार, पटना।

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष), बिहार, पटना।

अत्यावश्यक सूचना

निदेशालय पत्र संख्या–1055 दिनांक–18.05.2018 के द्वारा राज्य के सभी गैर सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को विगत 3 (तीन) वर्षों का विद्युत विपत्र, संस्थान के जमीन का खाता–खेसरा Deed सहित ई–मेल/ विशेष दूत द्वारा एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया परन्तु कुछेक संस्थानों को छोड़कर अधिकांश संस्थानों द्वारा वांछित कागजात/ अभिलेख अब तक उपलब्ध नहीं कराया गया है, जो अन्यन्त ही खेदजनक है।

अतएव पुनः एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि नियोजन भवन, इन्कम टैक्स गोलम्बर, बेली रोड, पटना के चतुर्थ तल "A" ब्लॉक अवस्थित निदेशालय में दिनांक–08.06.2018 तक वांछित कागजात/ अभिलेख उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें अन्यथा आपके संस्थान के प्रशिक्षणार्थियों को आगामी अखिल भारतीय व्यवसायिक परीक्षा में सम्मिलित नहीं होने दिया जाएगा जिसके लिये संस्थान के प्राचार्य/ निदेशक/ संचालक स्वयं जिम्मेवार होंगे।

निदेशक
नियोजन एवं प्रशिक्षण
बिहार, पटना